पत्र संख्या-कम्प्यूटर-NIC कम्प्यूटराइजेशन(S/W)-(2011-12) / 486 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // सितम्बर, 13 2011

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम-40(17) के अन्तर्गत जारी आदेश संख्या-102 दिनॉक 23-08-2011 का सन्दर्भ लें जो मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1112049 दिनॉक 23-08-2011 द्वारा परिपत्रित किया गया है। इस आदेश द्वारा वाणिज्य कर विभाग की शासकीय वेबसाइट से फार्म-XXI (ट्रांसपोर्ट मेमो) डाउन लोड करने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

2- आन लाइन फार्म-XXI डाउन लोड करने की इस व्यवस्था में सादा फार्म-XXI डाउन लोड करने के बजाय इसके समस्त कालम यथा इनवाइस नम्बर / चालान नम्बर, मूल्य, मात्रा, वस्तु का नाम व वाहन संख्या आदि का विवरण भरते हुये डाउन लोड किया जाना है। यह फार्म डाउन लोड करने के लिये व्यापारी को फार्म-38 की भॉति आन लाइन आवेदन करते हुये Password लेना होगा, परन्तु यदि किसी व्यापारी को फार्म-38 हेतु Password प्राप्त है तो इसे नया Password नहीं लेना होगा तथा यही Password फार्म-XXI डाउन लोड के लिये भी वैध होगा। ऐसे मामलों में व्यापारी को केवल उक्त आन लाइन आवेदन पत्र भरते हुये इसमें फार्म-XXI से सम्बन्धित वस्तुओं का विवरण अपडेट करना होगा।

3- नये मामलों में व्यापारी द्वारा आन लाइन आवेदन का स्वहस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म-38 के मामलों की भॉति इसकी जॉच करके अपनी संस्तुति एडमिनिस्ट्रेटर को भेज दी जायेगी जो अपनी login में जाकर व्यापारी को फार्म-XXI डाउनलोड करने की सुविधा Activate कर देगें। फार्म-38 के लिए Password प्राप्त व्यापारियों द्वारा फार्म-XXI डाउनलोड के लिए आवेदन करने के मामलों में लोकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अपनी Login में जाकर फार्म-XXI के लिये प्रस्तुत Request Application for download of forms के बाक्स को खोला जायेगा एवं ऐसे मामलों, जो Light Green Background में दिखाई पड़ेगे, के आवेदन पत्रों का प्रिन्ट-आउट निकालकर सम्बन्धित सेक्टर को भेजा जायेगा। सूची में ऐसे प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन प्रार्थना पत्रों की जॉच करते हुये अगले दिन एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा जायेगा जो वेबसाइट पर व्यापारी को फार्म-XXI के डाउन लोड की सुविधा Activate कर देगें। इस प्रकार के मामलों में यदि व्यापारी द्वारा स्वत: आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट हस्ताक्षरित करके कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुंत कर दिया जाता है तो अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर ही अपनी संस्तुति एडमिनिस्ट्रेटर को भेज दी जायेगी। फार्म-XXI डाउन लोड करने की आलोच्य व्यवस्था में फार्मो की संख्या का कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा।

4- वेबसाइट से फार्म-XXI डाउन लोड करने की उक्त व्यवस्था दिनॉक 30-09-2011 तक वैकल्पिक रखी गयी है, परन्तु इसके पश्चात व्याापारी को अनिवार्य रुप से वेबसाइट से फार्म-XXI डाउन लोड करके प्रयोग करना होगा। अत: आवश्यक है कि इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये व्यापारियों को इस सुविधा के उपभोग करने हेतु प्रेरित किया जाय, ताकि दिनॉक 01-10-2011 से यह व्यवस्था अनिवार्य हो जाने पर व्यापारियों को असुविधा न हो।

कृपया उक्त निर्देशों से अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।